-प्रेस नोट-

दिनांकः 23.08.2024

यातायात पुलिस जनपद सहारनपुर

सभी आमजन तथा ट्रांसपोर्टस को सूचित किया जाता है कि दिनांक 23/24/25/30 व 31.08.2024 को होने वाली उ०प्र० नागरिक पुलिस आरक्षी सीधी भर्ती परीक्षा एवं आगामी त्यौहार (जन्माष्टमी, चेहलुम झुलूस आदि) को सकुशल सम्पन्न कराये जाने के दृष्टिगत दिनांक 23.08.2024 से 01.09.2024 तक शहर क्षेत्र में लागू नो-एन्ट्री प्रणाली का निर्धारित समय प्रातः 06:00 से रात्रि 22:00 बजे को संशोधित करते हुये समय प्रातः 06:00 से रात्रि 12:00 बजे तक लागू किया जाता है।

"आपकी सुरक्षा हमारा दायित्व"

पुलिस अधीक्षक (यातायात)
जनपद सहारनपुर

-प्रेस नोट-

दिनांकः 23.08.2024

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना गंगोह, सहारनपुर पुलिस द्वारा सरकारी स्कूल में लगे पंखे चोरी की घटना का सफल अनावरण करते हुए 01 शातिर चोर अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि दिनांक 21/08/2024 को वादिया श्रीमति आरजू अन्सारी प्रधानाध्यापिका बुढ़नपुर प्राथमिक विद्यालय उ0प्र0, गंगोह जनपद सहारनपुर की लिखित तहरीर बाबत ग्राम बुढनपुर स्थित प्राथमिक विद्यालय के बरामदे मे लगे दो पंखे किसी अज्ञात चोर द्वारा चोरी कर ले जाने के सम्बन्ध में थाना गंगोह पर मु0अ0सं0- 366/24 धारा 305(A) बी0एन0एस0 बनाम अज्ञात के विरुद्ध पंजीकृत किया गया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध की रोकथाम व वांछित/वारण्टी अपराधियो की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी गंगोह के निकट पर्यवेक्षण मे तथा प्रभारी निरीक्षक श्री एच0एन0 सिंह के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 23/08/2024 को मुखबिर की सूचना पर थाना गंगोह पुलिस टीम द्वारा चैकिंग के दौरान मुकदमा उपरोक्त में **अभियुक्त शहजाद पुत्र महबूब नि0 ग्राम बुढनपुर थाना गंगोह जिला सहारनपुर** को ग्राम ताताहेडी व ग्राम हाजीपुर जाने वाले चौराहे के पास से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से चोरी के 02 छत के पंखे बरामद। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 317(2) बी0एन0एस0 की वृद्धि की गयी। अभियुक्त के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही कर समय से मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

अभियुक्त शहजाद उपरोक्त ने पूछने पर बताया कि यह पंखे मैने करीब 07 दिन पहले बुढनपुर सरकारी स्कूल से चोरी किये थे और आज इन्हे बेचने के लिए लेकर जा रहा था। मै चोरी के सामान को राह चलते लोगो को सस्ते दामो मे बेच देता हूँ। जिससे मुझे अच्छी कमाई हो जाती है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

शहजाद पुत्र महबूब नि ग्राम बुढनपुर थाना गंगोह जिला 0सहारनपुर

बरामदगी का विवरणः-

01 अदद पंखा (जिस पर मेट्रो इलेक्ट्रिक सिलिंग फैन मेड इन इंडिया)
01 अदद पंखा (जिस पर 13MM PASSED 2022)

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1. उ0नि0 श्री देवेन्द्र सिहं थाना गंगोह जनपद सहारनपुर
2. है0का0 818 सचिन कुमार थाना गंगोह जनपद सहारनपुर
3. कां0 1820 अंकित मान थाना गंगोह जनपद सहारनपुर
4. का0 197 नितिन थाना गंगोह जनपद सहारनपुर

-प्रेस नोट-

दिनांकः 23.08.2024

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना देवबन्द, सहारनपुर पुलिस द्वारा 02 वारण्टी अभियुक्तो को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध की रोकथाम व वांछित/वारण्टी अपराधियो की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी देवबन्द के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री संजीव कुमार के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 23.08.2024 को मुखबिर की सूचना पर थाना देवबन्द पुलिस टीम द्वारा 02 वारण्टी **अभियुक्तगण 1. ओमवीर पुत्र भुल्लन नि0 ग्राम घलौली थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर** सम्बन्धित वाद स0- 720/03 सरकार बनाम ब्रहमपाल आदि थाना देवबन्द अ0स0185/97 धारा 379/411 भादवि में मा0 न्यायालय ए0सी0जे0एम0 देवबन्द द्वारा निर्गत एनबीडब्ल्यू/82 सीआरपीसी में तथा **2. सतीश पुत्र भन्नी ग्राम घलौली थाना देवबन्द जिला सहारनपुर** सम्बन्धित वाद सं0 730/03 व मु0अ0सं0 185/97 धारा 379/411 भादवि मा0 न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट देवबन्द द्वारा nbw/82 crpc वारन्टी को उसके मसकनो से गिरफ्तार किया गया। वारण्टियो के विरूद्ध विधिक कार्यवाही अमल मे लायी जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

1. ओमवीर पुत्र भुल्लन नि0 ग्राम घलौली थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर
2. सतीश पुत्र भन्नी नि0 ग्राम घलौली थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

1- उ0नि0 श्री राजन पुण्डीर थाना देवबन्द जिला सहारनपुर

2- का0 2481 उमेश कुमार थाना देवबन्द जिला सहारनपुर

3- का0 2287 मनोज कुमार थाना देवबन्द जिला सहारनपुर

-प्रेस नोट-

दिनांकः 23.08.2024

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना साइबर क्राइम, सहारनपुर द्वारा जीएसटी चोरी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश करते हुए वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार, कब्जे से 01 मोबाइल फोन व लैपटॉप बरामद

अवगत कराना है कि दिनांक 21.08.2024 वादी श्री नितीश चौधरी पुत्र राजकुमार नि० ग्राम सुन्दरपुर छुटमलपुर थाना बिहारीगढ जनपद सहारनपुर की लिखित तहरीर बाबत अज्ञात अभियुक्तो द्वारा वादी के जीएसटी अकाउण्ट को धोखाधडी से हैक करके माह अप्रैल-मई-जून वर्ष 2024 में फर्जी बिलिंग द्वारा लगभग 2.5 करोड रुपये की फर्जी बिलिंग करने की सूचना के आधार पर थाना साइबर क्राइम पर मु0अ0सं0 47/2024 धारा 420/467/468/471 भादवि तथा 66सी व 66डी आईटी एक्ट तथा 132 जीएसटी एक्ट के पंजीकृत किया गया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा उपरोक्त घटना का संज्ञान लेकर अभियुक्तो की गिरफ्तारी हेतु आदेश-निर्देश दिये गये । आदेश के अनुपालन में **नोडल अधिकारी साइबर क्राइम/पुलिस अधीक्षक नगर सहारनपुर व प्रभारी निरीक्षक श्री पंकज कुमार त्रिपाठी** के कुशल नेतृत्व में थाना साइबर क्राइम पुलिस टीम द्वारा मुकदमा उपरोक्त में त्वरित कार्यवाही करते हुए फर्जी जीएसटी बिलिंग करने वाले अकाउंटेंट **अभियुक्त अमन प्रजापति पुत्र मुकेश प्रजापति निवासी ज्ञान विहार कालोनी, भूतेश्वर मंदिर रोड थाना मण्डी जिला सहारनपुर** को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त अमन प्रजापति उपरोक्त के कब्जे से 01 मोबाइल एड्राइड व 01 लैपटॉप बरामद। मुकदमा उपरोक्त में वांछित अन्य अभियुक्तो को गिरफ्तारी हेतु टीम लगी है। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध विधिक कार्यवाही कर समय से मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

अभियुक्त अमन उपरोक्त ने पूछताछ पर बताया कि वह राजेश जुनेजा के यहाँ पर काम करता है तथा उत्सव गुप्ता ने नितीश चौधरी की मायरा एक्सपोर्टस कंपनी का जीएसटी मेल आईडी पासवर्ड दिया था जिसका प्रयोग करके मैने पैसे के लालच में राजेश जुनेजा के बिलिंग कार्यो में मायरा एक्सपोर्टस कम्पनी का जीएसटी का आईडी व पासवर्ड इस्तेमाल करके बिलिंग कर दी थी।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

1. अमन प्रजापति पुत्र मुकेश प्रजापति निवासी ज्ञान विहार कालोनी, भूतेश्वर मंदिर रोड थाना मण्डी जिला सहारनपुर

बरामदगी का विवरणः-

- 01 एन्ड्राइड मोबाइल फोन (सैमसंग कम्पनी)
- 01 लैपटॉप (Acer कम्पनी)

गिरफ्तार करने वाली साइबर क्राइम पुलिस टीमः-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री पंकज त्रिपाठी थाना साइबर क्राइम जनपद सहारनपुर।
2. उ0नि0 साबिर अली थाना साइबर क्राइम जनपद सहारनपुर।
3. है0का0 रोहित कुमार थाना साइबर क्राइम जनपद सहारनपुर।
4. है0का0 निशान्त तोमर थाना साइबर क्राइम जनपद सहारनपुर।
5. का0 शकुन कुमार थाना साइबर क्राइम जनपद सहारनपुर।

दिनांक: 23.08.2024

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना देवबन्द पुलिस टीम द्वारा छेडछाड के मुकदमें में वांछित 04 अभियुक्तो को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि दिनांक 22.08.2024 को वादिया की लिखित तहरीर बाबत अभियुक्तगण द्वारा एक राय होकर वादिया के साथ छेडछाड करना, विरोध करने पर गाली गलौज कर मारपीट करना, कपडे फाड देना तथा जाने से मारने की धमकी देने की सूचना के आधार पर थाना देवबन्द पर मु0अ0सं0 456/2024 धारा 74/76/115/191/351(2)352 बी0एन0एस0 बनाम 1. इन्द्र पुत्र महेश, 2. विशाल पुत्र मुल्कीराम, 3. गुलशन पुत्र शेर सिंह, 4. विशाल पुत्र रामकिशन निवासीगण ग्राम खेडा मुगल थाना देवबन्द जिला सहारनपर व 5. दीपक पुत्र अज्ञात निवासी सरकडी के विरूद्ध पंजीकृत किया गया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा तत्काल घटना का संज्ञान लेकर अभियुक्तो की गिरफ्तारी हेतु आदेश-निर्देश दिये गये। आदेश के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी देवबन्द के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री संजीव कुमार के कुशल नेतृत्व मे कल दिनांक 23.08.2024 को मुखबिर की सूचना पर थाना देवबन्द पुलिस टीम द्वारा **अभियुक्तगण 1. इन्द्र पुत्र महेश नि0 ग्राम खेडा मुगल थाना देवबन्द सहारनपुर, 2. विशाल पुत्र मुल्कीराम नि0 ग्राम खेडा मुगल थाना देवबन्द सहारनपुर, 3. गुलशन पुत्र शेर सिंह नि0 ग्राम खेडा मुगल थाना देवबन्द सहारनपुर व 4. विशाल पुत्र रामकिशन निवासी ग्राम खेडा मुगल थाना देवबन्द जिला सहारनपुर** को मुगल झबरेडा मार्ग पर वीरपुर तिराहे से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तगणो के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही कर संमय से मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पताः–

1. इन्द्र पुत्र महेश नि0 ग्राम खेडा मुगल थाना देवबन्द सहारनपुर
2. विशाल पुत्र मुल्कीराम नि0 ग्राम खेडा मुगल थाना देवबन्द सहारनपुर
3. गुलशन पुत्र शेर सिंह नि0 ग्राम खेडा मुगल थाना देवबन्द सहारनपुर
4. विशाल पुत्र रामकिशन निवासी ग्राम खेडा मुगल थाना देवबन्द जिला सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1. उ0नि0 श्री राहुल देशवाल थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर।
2. है0का0 949 विकास थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर।
3. का0 478 पंकज सैनी थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर।
4. का0 1919 यशवीर थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर।
5. का02076 धर्मेन्द्र थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर।

दिनांक: 23.08.2024

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना सदर बाजार, सहारनपुर पुलिस द्वारा बैग की झपटामारी में वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि दिनांक 21.08.2024 को वादी श्री ओमकार नाथ मिश्र पुत्र भागवत मिश्र नि0 विनय विहार हिम्मतनगर थाना सदर बाजार जनपद सहारनपुर की लिखित तहरीर बाबत अभियुक्तगण 1. शादिह पुत्र इस्लाम नि0 चुन्हेटीगाढा थाना रामपुर मनि0 सहारनपुर व 2. दीपक पुत्र चमनलाल नि0 उपरोक्त द्वारा वादी का बैग जिसमें 5000रू/- झपट कर ले जाने के संबंध मे थाना सदर बाजार पर मु0अ0सं0 467/24 धारा 304 बीएनएस मे अभियोग पंजीकृत कराया गया था।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा तत्काल घटना का संज्ञान लेकर माल की बरामदगी व अभियुक्तो की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु आदेश-निर्देश दिये गये । आदेश के अनुपालन मे पुलिस अधीक्षक नगर तथा क्षेत्राधिकारी नगर द्वितीय के निकट पर्यवेक्षण मे तथा प्रभारी निरीक्षक श्री सुबे सिह के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 23.08.2024 को मुखबिर की सूचना पर थाना सदर बाजार पुलिस टीम द्वारा मुकदमा उपरोक्त में त्वरित कार्यवाही करते हुए झपटामार **अभियुक्त 1. शाहिद पुत्र मौ0 इस्लाम नि0 चुन्हैटी थाना रामपुर मनिहारान जनपद सहारनपुर** को नवनिर्मित रेलवे अन्डरपास चौकी क्षेत्र खलासीलाइन से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से लूट के 1500 रू/- बरामद। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 317(2) बीएनएस की वृद्धि की गयी। अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यावाही कर समय से मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

अभियुक्त शाहिद उपरोक्त ने वताया कि मैं व मेरा साथी दीपक दिनांक 21.08.24 को सहारनपुर आये थे जब हम दोनो शारदा नगर से गुजर रहे थे, तो दीपक व मेरी की नजर एक आदमी पर पड़ी जिसके हाथ में एक बैग था। दीपक नें मुझसे कहा कि इस आदमी के बैग में जरूर पैसे होंगे, बैग को छीनकर भाग जाते है। मेरे मन में लालच आ गया और मैं दीपक की बात से सहमत हो गया और दीपक नें उस आदमी के हाथ से बैग छीना और हम दोनो वहाँ से भाग गये। कुछ दूर जाने पर हमने बैग खोलकर देखा तो उसमें 5000/- रूपये व बैंक की किताब थी। मेरे हिस्से में 2500/- रूपये आये थे बाकी पैसे व बैग दीपक अपने साथ ले गया था। जो 1500/- रूपये मेरे पास से बरामद मिले है वे उन्हे रूपयो में बचे हुये है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

1. शादिह पुत्र मौ0इस्लाम नि. चुन्हेटीगाढा थाना रामपुर मनिहारान जनपद सहारनपुर

बरामदगी का विवरण -

1500/रू नकद बरामद

गिरफ्तार करने वाली टीम के नाम

1. व0उ0नि0 श्री विपिन त्यागी थाना सदर बाजार सहारनपुर।
2. का0132 संदीप थाना सदर बाजार सहारनपुर।
3. का0 2294 अरूण थाना सदर बाजार सहारनपुर
4. हो0गा0 1646 दुर्गेश थाना सदर बाजार सहारनपुर .

दिनांक - 23.08.2024

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना जनकपुरी पुलिस द्वारा मात्र 03 घण्टे घर मे घुसकर चोरी करने वाला 01 चोर/ अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी गया 01 इण्डेन गैस सिलेण्डर बरामद

अवगत कराना है कि दिनांक 23.08.2024 को वादी इमरान पुत्र हाजी मकसूद हसन निवासी गुलशन टेलर खानआलमपुरा थाना जनकपुरी सहारनपुर की लिखित तहरीर बाबत अज्ञात चोर द्वारा द्वारा वादी के घर की किचन से एक इण्डेन गैस सिलेण्डर चोरी कर लेने के सम्बन्ध में थाना जनकपुरी पर मु0अ0सं0 222/24 धारा 305(A) बी0एन0एस0 पंजीकृत कराया गया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा उपरोक्त घटना का तत्काल संज्ञान लेते हुए अभियुक्त की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु दिशा-निर्देश दिए। आदेश के क्रम में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर द्वितीय के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री प्रमोद कुमार के कुशल नेतृत्व में मुखबिर की सूचना पर थाना जनकपुरी पुलिस टीम द्वारा मुकदमा उपरोक्त में त्वरित कार्यवाही करते हुए मात्र 03 घण्टे में चैकिंग के दौरान 01 चोर/अभियुक्त **सलीम पुत्र मुर्तजा निवासी अहमद नगर कालोनी ब्राउन बुड स्कूल के पीछे थाना मण्डी सहारनपुर** को सरकारी अस्पताल की पीछे वाली रोड से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से चोरी गया एक इण्डेन गैस सिलेण्डर बरामद । गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में 317/(2) बी0एन0एस0 की वृद्धि की गयी। अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

अभियुक्त सलीम ने पूछताछ पर बताया गया कि दिनाँक 22.08.24 को मैने व मेरे साथी युसुफ पुत्र स्व0 अजीम चक्की वाला नि0 ठठेरे वाली गली अरबी मदरसा के पास थाना मण्डी सहारनपुर के साथ मिलकर एक घर से गैस सिलेण्डर चोरी कर लिया था। आज हम दोनो इसे कही बेंचने जा रहे थे कि आपने मुझे पकड लिया तथा मेरा साथी युसुफ भाग गया था।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

सलीम पुत्र मुर्तजा निवासी अहमद नगर कालोनी ब्राउन बुड स्कूल के पीछे थाना मण्डी जनपद सहारनपुर।

बरामदगी का विवरण:-

01 गैस सिलेण्डर इण्डेन

गिरफ्तार करने वाली पुलिस पार्टी का नाम:-

1. उ0नि0 श्री विजय सिह थाना जनकपुरी, सहारनपुर।
2. है0कां0 1134 संदीप कुमार थाना जनकपुरी, सहारनपुर।
3. का0 1766 मोहन सिह थाना जनकपुरी, सहारनपुर

दिनांक 23.08.2024

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में सशक्त पैरवी के चलते मा0 न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश एडीजे/एफटीसी-01, सहारनपुर द्वारा अभियुक्त को 10 वर्ष का सश्रम कारावास व 40 हजार रूपये के अर्थदण्ड की सुनायी गयी सजा –

अवगत कराना है कि दिनांक 02.04.2017 को वादिया की लिखित तहरीर बाबत अभियुक्तगण 1-आशू पुत्र श्यामलाल, 2-अमित पुत्र श्यामलाल, 3-मनीष पुत्र श्यामलाल, 4-श्यामलाल पुत्र रामदीया, 5-श्रीमती कुशुम पत्नी रामदीया, 6-शिवानी पत्नी अमित व 7-रूपा पत्नी मनीष निवासीगण मुंशीपुरा थाना नकुड जनपद सहारनपुर द्वारा व अभियुक्त आशू द्वारा दुष्कर्म कर गाली-गलौच कर जान से मारने की धमकी देने व षडयन्त्र कर वादिया का गर्भपात कराने की सूचना पर मु0अ0स0-150/2017 धारा 376,120बी,313,504,506 भादवि थाना गंगोह पर पंजीकृत कराया गया। उपरोक्त अभियोग एसटी नं0 580/2017 पर मा0 न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश एडीजे/एफटीसी-01 जनपद सहारनपुर में विचाराधीन रहा।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में **OPERATION CONVICTION** में चिन्हित मांनिटरिंग सैल द्वारा की गई सशक्त पैरवी एवं प्रयासो के चलते मा0 न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश एडीजे/एफटीसी-01 जनपद सहारनपुर द्वारा **आज दिनांक 23.08.2024 को 1-आशू पुत्र श्यामलाल उपरोक्त को मु0अ0स0-150/2017 धारा 376 भादवि का दोषी पाते हुए 10 वर्ष का संश्रम कारावास व 40 हजार रू0 के अर्थदण्ड** से दण्डित किया गया।

शासकीय अधिवक्ता (ए0डी0जी0सी0) श्री सतीश सैनी
विवेचक रिटार्यड उ0नि0 श्री वीर सिंह
पैरोकार का0 2272 सौरव छौंकर सहारनपुर